

# Statewide day-long industries' stir opposes increase in electricity duty

## Associations Claim Govt Move Crippling Growth

TIMES NEWS NETWORK

**Lucknow:** Around 30 major associations from across the state have joined the protest by IIA (Indian Industries Association) declaring a complete closure of industries across the state on Thursday. The striking group claimed the industries across the state incurred a loss of Rs 2,000 crore, out of which Lucknow industries faced a loss of Rs 200 crore, though a few units owing allegiance to other groups were open.

D S Verma executive director of IIA said the closure was observed to bring the attention of the government to losses caused by hike in electricity duty of industries and business establishments from the earlier 9 paise per unit to 7.5 per cent of electricity bill (a 400-500 per cent increase). Various industries have alleged that UP Power Corporation Ltd (UPPCL) was trying to settle its long impending outstanding bills (approx. worth Rs 26,000 crore) with the government agencies and domestic users by putting the entire burden on industries.

Prashant Bhatia chairman of IIA said, "The revenues will anyway flow to the state treasury and not UPPCL. How can the huge increase compensate for the department's loss? Be-



side, there has been a 95 per cent increase in demand charge of electricity from Rs 115 to now Rs 225 per kilowatt. Though the new tariff was announced on October 19 it has been applied from October 1 which is again a direct loss as the industries accordingly plan their further investments.

All these decisions are unilateral and we are struggling to air our problems to the CM for the past four months," The industries have complained that in spite of their repeated reminders, the CM or officials have not bothered to give them an ear.

The industries yield about 90 per cent tax of the state government but

if the increase in the tariff and duty continues, they would be forced to shut down or migrate, said G C Chaturvedi former president of IIA, adding, "Small scale industries cannot migrate, they would eventually die but medium and bigger industries would migrate to states like Himachal Pradesh, Gujarat, or Uttarakhand, where industrial policies are favourable."

He said unlike other states, only UP government includes minimum charges (Rs 500) in the tariff along with the demand and unit consumption charges. Even though UP Electricity Regulatory Commission had decided to roll it back, it is still being continued which is an additional cost. All associations have announced that the protest would be intensified if their problems went unheard. Chaturvedi said, "We will give a week's time to the government to roll back the hike and remove the minimum charges. We have been told that a middle path is being sought and we are waiting for a response."

The industry is demanding that increase in duty should be rolled back completely and the tariff hike (which was due for last three years) should not be more than 15 per cent which is about 35-50 per cent at present. They want the hike to be reasonable and in parts rather than a one-time exorbitant increase.

The industries argued that the government has revised charges depending on the type of industries. "Where unit consumption is more as in big industries the increase is in

unit charges, risen from Rs 3.85 to Rs 5.60 (about 45 per cent) but for small scale industries, the increase is of 18.40 percent that too in the energy charges from 4.45 to 5.86 per cent as these areas receive scarce electricity supply, hence less units are consumed. All charges have been revised suiting their needs." The electricity bills have swollen by 35 to 50 per cent post the implementation of hikes in tariff and duty.

Samajwadi Party has tried to establish a pro-industrial government image but its recent moves have irked all quarters of the industry alike. The government has been sending negative feelers to the industry of late. A harassed manufacturer said, "Pro-industrial approach is all on papers and no project has actually taken off. Previous government did not offer any favourable policy but at least let us survive within our limited means." Verma said though the government claimed to be protecting weaker sections, they are actually hitting many families who are directly employed with MSME sector. About 60 per cent of the workers in MSME industry belong to weaker sections of the society.

A small entrepreneur said, "There is a misconception in the government that those in the industry are not their voters, but in fact MSME in UP alone employs about 60 lakh workers whose families comprise about 3.4 crore population. These are directly involved with the policies of the government and are their direct voters."

बिजली रेट में बढ़ोतरी के विरोध में हड़ताल, सात लाख औद्योगिक इकाइयां रहीं बंद

# 2000 करोड़ का उत्पादन ठप

उद्यमियों ने पावर कॉर्पोरेशन पर गुमराह करने का लगाया आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बिजली दरों और ड्यूटी में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश के उद्यमियों ने गुस्से को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। इससे लखनऊ समेत प्रदेश की करीब सात लाख औद्योगिक इकाइयों के ताले नहीं खुले। करीब दो हजार करोड़ रुपये का उत्पादन ठप हुआ जिससे राज्य के केंद्र सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये का राजस्व भाटा हुआ। हड़ताल के दौरान इकाइयों के कामगारों, उद्यमियों ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उद्यमियों ने बेतकनी दी कि यह सांकेतिक बंदी थी, अगर हफ्तेभर में मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो निष्पत्तिक संघर्ष का ऐलान किया जाएगा।

सांकेतिक हड़ताल के संबीक्षण एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) लखनऊ के अध्यक्ष प्रशांत भाटिया का आरोप है कि बिजली के रेट में 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है लेकिन बिल 50 प्रतिशत बढ़े हुए रेट आ रहे हैं। बिजली ड्यूटी को 7.5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया जिससे 500 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई। बिजली रेट 19 अक्टूबर को बढ़े पर बिल एक अक्टूबर से बनाए जा रहे हैं। कारोबारियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन उत्पादों को वे बाजार में बेच चुके हैं, उन पर बढ़े हुए बिजली खर्च की भरपाई कैसे होगी? हड़ताल के दौरान लखनऊ में अमोसी, नादरगंज, तालकटोरा रोड, चिनहट व कुर्सी रोड की 1200, उन्नाव में 300, गाजियाबाद में 1500 और रामपुर में 120 इकाइयां बंद रहीं। यही स्थिति कानपुर, नोएडा और अन्य शहरों की भी रही। इस बंद को सफल बनाने के लिए प्रदेश की सभी औद्योगिक एसोसिएशन एक साथ सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

400

करोड़ रुपये  
का सरकार  
को घाटा

समस्याएं सुलझाने के लिए सरकार को हफ्तेभर का दिया समय

## आईआईए का आकलन: भारती बिजली से उद्योग को नुकसान

### औद्योगिक कनेक्शन: हल्द्वारी-8 (लाइट एंड मीट्रिंग वोल्टेज)

श्रेणी	पुरानी दरें	नई दरें
डिमांड शुल्क	₹115/ केडब्ल्यू	₹225/केडब्ल्यू
बिजली	₹4.96/ केडब्ल्यूघंटा	₹5.86/ केडब्ल्यूघंटा
ड्यूटी	9 पैसा/केडब्ल्यूघंटा	7.5%
सुरक्षा शुल्क	₹500/ केडब्ल्यू	500/ केडब्ल्यू

### सीएम से ये चाहता है उद्योग जगत

- इलेक्ट्रिकिटी पर बड़ी ड्यूटी कम से कम हो।
- छोटे उद्योग एमएचवी-6 में डिमांड चार्ज को बढ़ा पाएंगे तो।
- छोटे उद्योग एमएचवी-6 पर लूटवन्त चार्ज खत्म करे सरकार।
- छोटे व बड़े उद्योगों के लिए बिजली की दर एक बार में 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ना जाए।
- बिजली की दर बढ़ने की घोषणा से ही ड्यूटी हट्टे करे तब ही।

असर: बिजली की दरें बढ़ने से 50 किलोवाट लॉड और 6,000 केडब्ल्यू तक बिजली की खपत करने वाली एक इकाई को अब बिजली बिल पर कुल 38.5 प्रतिशत ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। पहले उसे बिजली उपभोग पर मासिक 29,700 रुपये देने होते थे तो अब 35,100 रुपये देने होंगे। डिमांड शुल्क 5,750 से बढ़कर 11,250 रुपये हो जाएगा। वहीं ड्यूटी के लिए पर पहले जहां 540 रुपये दिए जाते थे अब 3,476 रुपये हर महीने देने होंगे। यह इकाई पहले हर महीने 35,990 रुपये बिजली पर खर्च करती थी जो अब बढ़कर 49,826 रुपये हो जाएगा।

### औद्योगिक कनेक्शन: एचवी-2 (हाई वोल्टेज 11 केवी से कम)

श्रेणी	पुरानी दरें	नई दरें
डिमांड शुल्क	₹230/ केडब्ल्यू	₹250/केडब्ल्यू
बिजली	₹4.60/ केडब्ल्यूघंटा	₹5.90/ केडब्ल्यूघंटा
ड्यूटी	9 पैसा/ केडब्ल्यूघंटा	7.5%

असर: एक हजार केवीए लॉड के साथ हर महीने 1,20,000 केवीएघ बिजली खपत वाली औद्योगिक इकाई को बिल पर 33.68 प्रतिशत ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। पहले यह इकाई 5.52 लाख रुपये मासिक दे रही थी अब 7.08 लाख रुपये देने होंगे। डिमांड शुल्क भी 2,30 लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये हो जाएगा और डिजने शुल्क 10,800 की जगह 71,850 रुपये देने होंगे। यह इकाई बिजली बिल पर पहले कुल 7,29,800 रुपये देती थी तो अब इसे 10,59,950 रुपये देने होंगे।

### औद्योगिक कनेक्शन: एचवी-2 (हाई वोल्टेज 11 केवी से 66 केवी)

श्रेणी	पुरानी दरें	नई दरें
डिमांड शुल्क	₹230/ केडब्ल्यू	₹240/केडब्ल्यू
बिजली	₹3.85/ केडब्ल्यूघंटा	₹5.60/ केडब्ल्यूघंटा
ड्यूटी	9 पैसा/ केडब्ल्यूघंटा	7.5%

असर: 1,500 केवीए लॉड और 1,80,000 केवीएघ मासिक बिजली खपत वाली इकाई का बिजली बिल 39.7 प्रतिशत बढ़ जाएगा। बिजली उपभोग पर 6.93 लाख की जगह 10.08 लाख रुपये देने होंगे। डिमांड शुल्क भी 3.45 लाख रुपये से बढ़कर 3.60 लाख रुपये हो जाएगा। ड्यूटी के लिए 14,580 की जगह 1,02,600 रुपये देने होंगे। बिजली बिल पर कुल खर्च 1,02,580 से बढ़कर 14,70,500 रुपये हो जाएगा।

## सीएम मिलते नहीं, सुनते भी नहीं

दुधर, आईआईए के पूर्व अध्यक्ष जीसी चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एचवीएसएन की बात सुनते हैं और न ही मिलने का वक़्त देते हैं। उन्होंने कहा कि तीन साल बाद बिजली दरों को बढ़ाने का हवाला देकर 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करमागत है। सरकार को इसे सालाना 12 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा इस संबंध में आईआईए शुद्ध सीएम से मिलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वक़्त नहीं मिल रहा है। (बिजली क्षेत्र को सीएम ने अपने पास रखा है, वे खुला हैं, उनसे उद्योगों को उम्मीद है, अगर वे हमारी नहीं सुनेंगे तो पिछली और नई सरकार में कोई फर्क नहीं रहे जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, बिहार, हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश के उद्योगों को 15 से 44 प्रतिशत तक बढ़ती बिजली दी जा रही है जो अन्यायपूर्ण है। इसने उद्योग पतनवर्धक नहीं बल्कि उनका नाला होना।

## ... तो बंद हो जाएंगे छोटे उद्योग

एसोसिएशन संघ के डीएस वी का कहना है कि उद्योग जगत हर सरकार को खबरें साफ़ टपटपे करता है। यही वजह है कि दरें इतने तुरंत और बड़ा बढ़ाई गई लेकिन अब उद्योगों के काम नहीं की गई तो अफिल्टर छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे। इसे औद्योगिक पतन के पहलू तो दूसरे राज्यों में पलायन करने का विकल्प है। एसोसिएशन के अनुसार अब वे जगह से जगह गुमराहों से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि इसमें जबरन सफलता मिलती नहीं दिख रही।

# Small and medium industries go on strike against 'crippling' hike in power tariff

EXPRESS NEWS SERVICE

LUCKNOW, NOVEMBER 22

SEVERAL medium and small industrial units observed a day-long bandh in the state on Thursday to protest against the recent "crippling" hike in power tariff for industries.

Indian Industries Association (IIA), which called the bandh, claimed that a large number of industrial units in cities like Lucknow, Ghaziabad, Kanpur, Muzaffarnagar, Moradabad, Rampur and Unnao were closed to protest against the insensitivity of the state government towards micro, small and medium enterprises.

In the state capital, the industrial areas of Amausi, Chinhat, Kursi Road and Sarojini Nagar were closed. A total of 28 industrial organisations supported the bandh.

Prashant Bhatia, chairman of the Lucknow chapter of IIA, said today's bandh caused a loss of about Rs 2,000 crore to the industries in the form of production and also about Rs 400 crore as revenue to the government.

He said they had not been able to meet Chief Minister Akhilesh Yadav despite their best efforts, while the power bills coming after the hike in power tariff announced on October 19 have made several industrial units

unsustainable.

He said the state government had increased electricity duty from 9 paise per unit to 7.5 per cent of the total electricity bill and this has increased electricity duty on industries by about 500 per cent.

Bhatia said the government had also increased the demand charges from Rs 115 per kilowatt to Rs 225 per kilowatt for small and medium industries (LMV-6), leading to hike of above 95 per cent. He said the small industries will suffer more because as these units usually get insufficient power supply in many parts of the state.

Bhatia said these small and

medium industries were also having to pay Rs 500 per kilowatt as minimum charges along with demand charges, though no other state in the country levies minimum charges along with demand charges on small and medium industries.

G C Chaturvedi, former president of IIA, said that with the 18.4 per cent increase in energy charges, industries were witnessing hike of 35 to 50 per cent in their bills. He demanded that the government withdraw the hike in electricity duty, demand charges and minimum charges.

Chaturvedi demanded that the government ask the UP State Elec-

tricity Regulatory Commission (UPSERC) to review the tariff hike and instead of a one-time hike, it should go for smaller hikes at different time intervals.

D S Verma, executive director of IIA, said though the government announced the new tariff on October 19, it was made effective from October 1, which had made it difficult for the industries to recover their increased production cost for this period. He said the tariff should be effective from the date it was announced.

Verma said they were trying to meet the chief minister to apprise him of the difficulties.



## Industries observe state-wide closure against govt's apathy

PIONEER NEWS SERVICE ■ LUCKNOW

“The ‘insensitiveness’ of the government of UP to the problems of the industries, especially on the unexpected power tariff hike, forced their different associations to call for a state-wide closure of industries on Thursday as a mark of protest,” stated Manish Goel, general secretary, IIA.

He was addressing a press conference here on Thursday. He said that by this closure the industrialists of UP were bearing a loss of about Rs 2000 crore in order to wake up the government of UP. The loss is not limited to the industries only but it will also result in a loss of tax revenue of about Rs 400 crore to the government of UP.

He said that the Indian Industries Association (IIA) was in constant touch with its 34 district chapters and as per the latest information the industrialists were protesting in each part of UP by closing their units against the unexpected power tariff hike.

The main reason for the closure was the UP government's announcement of an exorbitant increase in electricity duty from 9 paise per unit to 7.5 per cent of the electricity bill. By doing this the load of electricity duty on industries was increased by approximately 500 per cent.

The demand charges for small industries (LMV-6 category) were increased from Rs 115 to Rs 225 per KW. Hence an increase of 95.65 per cent.

It may be pointed out here that generally small industries get inadequate power supply so the impact of this increase was far greater than assumed.

The small industries (LMV-6 category) had to pay demand charges along with minimum charges of Rs 500 per KW but nowhere in the country were both the charges applicable simultaneously and this was also against the provisions of the Electricity Act, 2003. It may be pointed out here that the industrial consumers, whether they get the power supply or not, would

have to pay the minimum charges and demand charges. This meant that the power distribution companies would earn more profit if they did not supply the electricity to the industries, he said.

Apart from the above facts, the energy charges have also been increased from Rs 4.95 to Rs 5.86 for small industries, which is an increase of 18.40 per cent. For the HV-2 category (industries above 11 KV) energy charges have been increased from Rs 3.85 to Rs 5.60, an increase of 45.45 per cent.

The hike in power tariff was announced on October 19 but it was implemented with retrospective effect from October 1, 2012, which was totally unjustified.

The power tariff hike has resulted in an increase of 35 to 50 per cent in industrial electricity bills. As a result the electricity being consumed by the small and large industries in UP has become dearer in comparison to other states, including 44 per cent dearer than

Andhra Pradesh, 42 per cent dearer than Uttarakhand, 33 per cent dearer than Chhattisgarh, 23 per cent dearer than Haryana and 20 per cent dearer than Rajasthan.

This is the highest increase in power tariff for industries in the entire history of UP.

For the past four months Industries' Associations and industrialists have been continuously requesting the government to listen to them but it has turned a deaf ear to their entreaties.

He said that their main demand was that the increase in electricity duty should be rolled back. The increase in demand charges for small industries (LMV-6) should also be rolled back. The demand charges applicable for small industries (LMV-6) should be abolished. The increase in energy charges for small and large industries should not be more than 15 per cent and the power tariff should only be implemented after the date the hike in it was announced and not with retrospective effect.

# प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की सांकेतिक बंदी

कार्यालय संवाददाता

- अप्रत्याशित विद्युत मूल्य वृद्धि का विरोध
- 2000 करोड़ रुपये का उत्पादन ठप
- 400 करोड़ के राजस्व का घाटा
- लाखों मजदूर भी रहे बेरोजगार

लखनऊ। अप्रत्याशित विद्युत मूल्य वृद्धि के विरोध में गुरुवार को प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयां बंद रही। इसके चलते उद्योगियों ने कहा कि बंदी का असर पूरे प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि यह उनकी ओर से सरकार को चेतावनी मात्र है और आग्रह है कि वे जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का समाधान निकालें। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब यहां के अधिकतर कारखाने बंद हो जाएंगे तो वहीं अधिकतर अन्य प्रदेशों में शरण लेंगे। लिहाजा इसके लिए हल निकाला जाए।

गोमती नगर के इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए चेप्टर चेयरमैन, लखनऊ प्रशांत भाटिया ने कहा कि इस बार बिजली की दरों में एकाएक वृद्धि से अब प्रदेश में काम करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा आज प्रदेश के सभी व्यवसायियों ने अपने कारखानों को बंद कर अपना नुकसान करके सरकार को चेतावनी का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार बिजली की दरों में हुई वृद्धि सबसे अधिक है। लिहाजा जिसके चलते अब यहां काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बंदी के चलते करीब 2000 करोड़ रुपये का

उत्पादन नहीं हुआ है, जबकि लाखों मजदूर बेरोजगार रहे हैं। इसके साथ ही इस बंदी के चलते करीब प्रदेश सरकार के राजस्व का करीब 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आईआईएफ के प्रतिनिधि जीसी चतुर्वेदी ने बताया कि इसमें प्रदेश के 34 चेप्टर व करीब 27 से अधिक अन्य औद्योगिक संगठन अपना सहयोग दे रहे हैं। बताया गया कि जानकारी के मुताबिक कानपुर, कानपुर देहात, गाजियाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव व रामपुर आदि जिलों में अधिकतर कारखानों में आज काम नहीं हुआ। वहीं लखनऊ के नादरगंज, सरोजनीनगर, गोसाईगंज सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के 100 से अधिक कारखाने बंद रहे। लिहाजा उनका उद्देश्य है कि हमारे मुख्यमंत्री इस समस्या का जल्द कोई हल निकालें। इसके लिए उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है नहीं तो वे इस बंदी को बड़ा सकते हैं और अगर यही हालात रहे तो अधिकतर उद्योगियों को अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे उद्योगियों पर पड़ेगा। लिहाजा सरकार को इस पर गंभीरता से विचार

करना चाहिए।

## बंदी क्यों

▲ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को नौ पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर पूरे विद्युत बिल पर 7.5 प्रतिशत कर देना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भार भीस्तरन 500 प्रतिशत बढ़ा गया।

▲ छोटे उद्योगों (एलएमबी-6 श्रेणी) के लिए डिमांड चार्ज 225 रुपये प्रति किलोवाट कर देना यानी 95.65 प्रतिशत की वृद्धि।

▲ छोटे उद्योगों के लिए डिमांड चार्ज के साथ न्यूनतम चार्ज 500 रुपये प्रति किलोवाट भी लागू, जबकि देश में ऐसा कहीं भी नहीं है।

▲ छोटे उद्योगों के लिए एनर्जी चार्ज 5.86 रुपये करना यानी 18.40 प्रतिशत की वृद्धि।

▲ विद्युत टैरिफ की घोषणा 19 अक्टूबर को की गई लेकिन इसे बैंक डेट में यानी एक अक्टूबर से ही लागू किया गया।

▲ उपरोक्त विद्युत दर वृद्धि से उद्योगों के बिजली बिलों में 35 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

## मांग

\* इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वृद्धि वापस हो।

\* छोटे उद्योगों एलएमबी-6 में डिमांड चार्ज की बढ़ोतरी वापस हो।

\* छोटे उद्योगों एलएमबी-6 पर लागू न्यूनतम चार्ज समाप्त हो।

\* छोटे एवं बड़े उद्योगों पर एनर्जी चार्ज में वृद्धि 15 प्रतिशत अधिक न हो।

\* विद्युत टैरिफ की घोषणा तिथि के बाद ही लागू हो।

बंदी में संपर्कन

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एसोसिएट यूपी, इंडियन आइसक्रीम मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स, एनर्जी एसोसिएट्स, यूपी हींगरी एसो, यूपी बिस्किट मैनुफैक्चरर्स एसो, यूपी कोल्ड स्टोरेज एसो, यूपी ब्रेड मैनुफैक्चरर्स एसो, यूपी फ्लोर एसो, यूपी राइस एसो, यूपी प्लास्टिक एसो, यूपी फूड प्रोसेसिंग एसो, यूपी होटल एंड रेस्टोरेंट एसो, यूपी सोप मैनुफैक्चरर्स एसो, यूपी लेंडर एसो, यूपी ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसो, एसोसिएशन ऑफ स्टील रोलिंग मिल्स एंड फर्नेसेज, गाजियाबाद इंडकेशन फर्नेसेज एसो, ऑल इंडिया मेटल एसो, यूपी इंडकेशन फर्नेसेज एसो, ईस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नैनी इंडियन एसो, इलाहाबाद, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल फेडरेशन एसो, इंडस्ट्रियल एरिया मैनुफैक्चरर्स एसो, गाजियाबाद, नोएडा इंटरप्रिन्डोर एसो।

# Industries observe day-long strike

**PROTEST** against power tariff hike causes combined losses of ₹2400 cr

HT Correspondent

● [reporter@hindustantimes.com](mailto:reporter@hindustantimes.com)

**LUCKNOW:** Industrialists in the state observed a bandh on Thursday to pressurize the government to consider rollback in the recent power tariff hike.

Indian Industries Association (IIA) claimed the strike caused a production loss worth Rs 2000 crore to the industrialists. The loss to the government in terms of tax revenue was pegged at around Rs 400 crore.

“Only those units with perishable raw material remained opened while the rest observed a total closure,” claimed Prashant Bhatia, chairperson of the IIA, at

## POWER POINTS

- ▶ Electricity duty hiked from .09 paise per unit to 7.5% of the bill
- ▶ UP the only state to have demand charges ₹225 per unit and minimum charges ₹500 per kilowatt
- ▶ An increase of 18.40% in energy charges for small industrial units
- ▶ New tariff announced on October 19 but effective from October 01



a press conference.

“The recent addition in power tariff for industries has made

electricity up to 50% expensive for us and as a result we will shortly be out of competition in comparison to industries of other states,” he said.

Industrialists have now given the government a seven-day ultimatum to give a suitable response or else they would be forced to rethink their strategy.

Giving example, GC Chaturvedi, an IIA office-bearer and incharge of Thursday's protest, said electricity duty that was .09 paise per unit is now 7.5% of the electricity bill. “Merely this change has made electricity costly while demand charges per kilowatt have been increased from Rs 115 to Rs 225. An indus-

trial unit will be compelled to pay the monthly demand charges, which will remain the same as it is based upon kilowatt connection, even if there are excessive power cuts and consumption of electricity less,” he said.

“The chief minister needs to understand that industries can perku up the situation of the state, but they need support. Industries can lay a golden egg everyday but getting all the golden eggs in one day will not be a good idea for the government as the industries will shift to other states,” said Bhatia.

The office bearers said they had requested for a meeting with the chief minister but there had been no reply yet.



● IIA office bearers addressing a press conference after the day-long strike.

DEEPAK GUPTA/HTPHOTO

# औद्योगिक बंदी से दो हजार करोड़ की क्षति

• बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदेश में बंद रहे उद्योग

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में गुरुवार को प्रदेश में उद्योग बंद रहे। इससे उत्पादन के रूप में 2 हजार करोड़ रुपये की चपत लगी। वहीं, सरकार को टैक्स के तौर पर मिलने वाले 400 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) के महासचिव मनीष गोयल ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश में सभी जगह औद्योगिक इकाइयां बंद रही। बिजली दरों में भारी वृद्धि के फैसले से राज्य में उद्योग चलाना मुश्किल हो गया है। इन हालात में बड़े उद्योग तो प्रदेश से पलायन कर जाएंगे लेकिन छोटे उद्योगों पर पूरी तरह से ताला लटक जाएगा। ऐसे में जिन लोगों ने कर्ज लेकर काम शुरू किया था उन्हें गैटी के लाले पड़ जाएंगे। हम इस संबंध में प्रदेश सरकार को जगाने का



विद्युत दरों की बढ़ोतरी के विरोध में आइआइए के सदस्यों ने सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में फैक्ट्रियों को बंद कराकर प्रदर्शन किया

प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे पर रहत न मिलने आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने बताया की स्थिति में उद्योग संगठन जल्द मिलकर कि आइआइए के अलावा एसोचैम यूपी, लघु

उद्योग भारती उग्र, इंडियन आइसक्रोम मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी चैबर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न यूपी चैबर ऑफ कॉमर्स, यूपी होजरी एसोसिएशन, यूपी विस्कुट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, यूपी ब्रेड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, यूपी राइस मिल्स एसोसिएशन, यूपी प्लास्टिक एसोसिएशन, यूपी फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन, यूपी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, यूपी सोप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी लेटर एसोसिएशन, यूपी ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑल स्टील रेलिंग मिल्स एंड फर्नेस, एनर्जी एसोसिएट्स, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल फेडरेशन, इंडस्ट्रियल एरिया मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन गाजियाबाद, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, गाजियाबाद इन्कशन फर्नेस एसोसिएशन और आल इंडिया मेटलफॉरजिंग एसोसिएशन आदि हड़ताल में शामिल रही।

# बंद रहे उद्योग करोड़ों की चपत



बंदी के कारण बंद रहे ऐसे कई कारखाने

- ➔ राजधानी में 50 तो प्रदेश में 2000 करोड़ के नुकसान का आईआईए ने किया दावा
- ➔ प्रदेश की लारवों इकाइयों ने हड़ताल कर किया बंद का समर्थन

“इतनी बड़ी लॉजिस्टिक और आर्थिक इकाइयों ने प्रोटेस्ट सरकार की आँखों को प्रयास किया। सरकार को इलेक्ट्रिसिटी का रोज़ाना की गई वृद्धि असाध्य है तथा औद्योगिक इकाइयों को प्रतिदिन घाटे में ला रही है।”

- प्रशांत भारद्वाज, संसदीय, आईआईए

राज्य के बाद प्रदेश सरकार को नोड से जगाने का प्रयास किया गया। उद्योगों के इस नुकसान के साथ-साथ सरकार को टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व में से 400 करोड़ का नुकसान सहना पड़ेगा। भाटिया ने बताया कि 9 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर पूरे जिले पर बढ़ने से पूर्व विद्युत बिल पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट 7.5 फीसदी किये जाने से 500 फीसदी का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। यहाँ छोटे उद्योगों के लिए, डिमांड चार्ज 115 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़कर 225 रुपये प्रति किलोवाट हो चुका है जिससे उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों की अर्थात् प्रदेश से औद्योगिक इकाइयों को 20 से 40 फीसदी घरेलू बिजली प्राप्त हो रही है। प्रदेश सरकार से इलेक्ट्रिसिटी अनुटी में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अन्य राज्यों में की गई बढ़ोतरी भी सरकार वापस ले। आईआईए द्वारा दावा करने के बावजूद भी शहर लखनऊ, ऐराधवा की औद्योगिक इकाइयों में काम चलता रहा। कुछ में उत्पादन नहीं होने के नाथ पर ट्रेडिंग का काम चलता रहा।

## शहर प्रतिनिधि

लखनऊ। उद्योगों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का रेट 9 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर पूरे जिले पर 7.5 फीसदी किये जाने के विरोध में आईआईए द्वारा आयोजित बंदी का राजधानी में मिला-जुला असर रहा। शहर की एक हजार और प्रदेश की लाखों छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों सांकेतिक हड़ताल पर रही। हॉटेल, हॉस्टल और एमर्सिफरन की प्रदाता में 34 चैटर कारगरत है, जो पूर्ण बंदी पर रहे। उनके अलावा प्रदेश के अन्य 27 से अधिक

औद्योगिक संगठनों ने भी बंदी का समर्थन किया। इलाहाबाद समूह द्वारा आयोजित बंदी के बावजूद शहर की औद्योगिक इकाइयों में रोज की तरह काम चलता रहा। आईआईए लखनऊ के संसदीय प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश को उद्योगों की समस्याओं का समाधान से विद्युत मूल्य वृद्धि के प्रति उदासीन रहने के कारण इस सांकेतिक बंदी का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि बंदी के कारण प्रदेश के 2 हजार और राजधानी के 50 करोड़ से अधिक का नुकसान औद्योगिक इकाइयों को सहना पड़ा। इतनी बड़ी हानि





## दैनिक जागरण

शुक्रवार 23 नवंबर 2012 : कार्तिक शुक्ल 10, वि. 2069

# बिजली की बढ़ी दरें

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बिजली दरों में वृद्धि एक बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। बिजली की दरों में वृद्धि से नाराज उद्यमियों ने जिस तरह एक दिन के बंद का आयोजन किया उससे यह स्पष्ट है कि उनके हितों को चोट पहुंच रही है। गत दिवस जिस तरह अकेले कानपुर नगर और देहात में औद्योगिक बंदी से उत्पादन और राजस्व के रूप में करीब 300 करोड़ रुपये की क्षति हुई उससे यह पता चलता है कि उद्यमी अपनी लड़ाई को और आगे ले जा सकते हैं। यदि कल-कारखानों को बंद करने का यह सिलसिला और तेज होता है तो इससे राज्य सरकार की समस्याएं बढ़ना तय हैं। राज्य सरकार को इससे अवगत होना चाहिए कि औद्योगिक बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ विरोध की आवाज उठाने वाले औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यह अच्छी बात है कि प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्र ने उद्यमियों को यह आश्वासन दिया कि बिजली की बढ़ती दरों के मामले में बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन उनका आश्वासन यह भी बताता है कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। क्या यह मसला राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं अथवा वह अभी तक इससे अनभिज्ञ ही थी कि बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर उद्यमी किस तरह आक्रोशित हैं?

बिजली की दरों में वृद्धि के मामले में राज्य सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक झटके में 40-50 फीसद तक की वृद्धि तो उद्योग जगत के लिए एक आघात ही है। आखिर इतनी महंगी बिजली से चलने वाले उत्तर प्रदेश के उद्योग अन्य राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? यह सही है कि समय के साथ बिजली महंगी हुई है और सस्ती दरों पर बिजली का जमाना अब गुजर गया, लेकिन बिजली की दरों में वृद्धि व्यावहारिक होनी चाहिए। यदि उद्योगों पर बिजली की दरों का बोझ इसी तरह बढ़ता रहा तो राज्य की औद्योगिक प्रगति पर असर पड़ना तय है। राज्य सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते उद्योगों के पलायन का सिलसिला अभी थमा नहीं है और कई राज्य सरकारें यूपी के उद्यमियों को अपने यहां बुला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी चिंता करनी ही चाहिए कि औद्योगिक बिजली दरें उद्योगों के लिए अनावश्यक बोझ न बनें।

बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में प्रदेश के औद्योगिक संगठन एकजुट

# बन्द रहे उद्योग, ₹ 20 अरब का उत्पादन ठप

लखनऊ | प्रमुख संगठन

बिजली दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ औद्योगिक संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को राजधानी समेत प्रदेश के तमाम उद्योग बन्द रहे। औद्योगिक संगठनों ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में उद्योगों की बन्दी के कारण जहां दो हजार करोड़ का उत्पादन ठप रहा वहीं सरकार को भी एक दिन में चार सौ करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। संगठनों ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

निर्धारित अवधि में अगर बढ़ी बिजली दरें वापस नहीं हुईं तो औद्योगिक संगठन कड़े निर्णय लेंगे।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के चेयरमैन ने कहा कि उद्योगियों के नुकसान के साथ सरकार को टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाले लगभग चार सौ करोड़ के राजस्व का नुकसान भी उठाना होगा। उन्होंने कहा कि

इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का भार औसतन पांच सौ फीसदी बढ़ा दिया गया है जबकि छोटे उद्योगों के लिए डिमाण्ड चार्ज में 95.65 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। बड़े उद्योगों के एनर्जी चार्ज में 45.45 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है जबकि दरें बढ़ाने की घोषणा 19

अक्टूबर को की गई है और लागू पहली अक्टूबर से कर दिया गया है। उद्योगों के बिजली बिलों में 35 से 50 फीसदी तक की वृद्धि कर दी गई है। उधर लखनऊ दाल एवं राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ लखनऊ के सभी राइस एवं दाल मिलों बन्द रहें। वहीं अखिल भारतीय खादी एवं लघु उद्यमों एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि कुर्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में भी सभी उत्पादन इकाइयों में उत्पादन ठप रहा।



बाराबंकी छोड़ हर जगह दो घंटे बंद रहे कारखाने

● बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में रायबरेली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक फैक्ट्रियों की मशीनों के बन्दे रोक दिए गए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएन खुबेले ने कहा कि सरकार ने विद्युत दरों में वृद्धि करके बढ़ी परेशानी खड़ी कर दी है। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के आईबीएस फूट, इनी प्रोजेक्ट, बगरंगबली इंटरग्राइजेज, विक्रम प्लंबिबुड आदि उद्योगों ने बंद में हिस्सा लिया। गीरीगंज व फैजलबाद में भी औद्योगिक इकाइयों 12 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रही। बाराबंकी में लघु उद्योग भारतीय अवध प्रांत के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि गुरुवार को यहां पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। इसलिए उनके सम्मान में उद्योगों को बंद नहीं किया गया। हिंदी

# बिन्द रहे प्रदेश के उद्योग

**संवाद**

लखनऊ गुरुवार (आज समाचार सेवा) । बिजली दर में वृद्धि के विरोध में प्रदेश के उद्योगपतियों ने आज अपना राजगार बन्द रखा तथा सरकार को ज्ञापन भेजकर सात दिन की चेतावनी दिया। प्रदेश के उद्योगों की बन्दी के तहत राजधानी के छोटे बड़े लगभग एक हजार उद्योग बन्द रहे, इसी प्रकार रामपुर में एक सौ तेइस, मुरादाबाद में नब्बे प्रतिशत, उन्नाव में तीन सौ, गाजियाबाद कानपुर और कानपुर देहात में नब्बे प्रतिशत की बन्दी रही। इसके अलावा प्रदेश के प्रैतीस जिले में पूर्ण रूप से बन्दी रही। इस मौके पर इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन प्रशांत भारतीय जी.सी. जतुवेंदी, रवीन्द्र सिंह आदि ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी को ० पैसे प्रति युनिट से बढ़ाकर पूरे विद्युत-बिल पर ७.५ प्रतिशत कर देना। इससे उद्योगों पर इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी का भार औसतन ५०० प्रतिशत बढ़ा दिया गया। छोटे उद्योगों एलएमवी-६ श्रेणी के लिए डिमांड चार्जेंज १५१६ प्रति कि.वाट से बढ़ाकर २२५ रु प्रति कि. वाट कर देना। अर्ध: १५.६५ प्रतिशत की वृद्धि। उल्लेखनीय है कि छोटे उद्योगों को अक्सर विद्युत सप्लाई बहुत कम उपलब्ध होती है। इसलिये वृद्धि का असर इससे भी कही अधिक होता है। छोटे उद्योगों एलएमवी-६ श्रेणी के लिए डिमांड चार्जेंज के साथ-साथ मिनिमम चार्जेंज ५०० रु. प्रति कि. वाट भी लागू जबकि ऐसा पूरे देश में कही भी नहीं है और

यह प्रावधान विद्युत अधिनियम-२००३ के भी विरुद्ध है। मिनिमम चार्जेंज एवं डिमांड चार्जेंज का यह भी अभिप्राय है कि यदि आपको बिजली उपलब्ध न भी कराई जाए तब भी औद्योगिक उपभोक्ता यह चार्जेंज बिजली कम्पनी को देने के लिए बाध्य होंगे। अतः ऐसी स्थिति में बिजली कम्पनियों उद्योगों को बिजली सप्लाई न करे तो अधिक लाभ में रहेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त छोटे उद्योगों के लिये एनर्जी चार्जेंज भी ४.१५ रु. से ५.८६ रु. तक बढ़ाये गये हैं जो कि १८.४० प्रतिशत की वृद्धि है। बड़े उद्योगों एच वी-२, ११ के.वी. से उपर की श्रेणी के लिये एनर्जी चार्जेंज ३.८५ रु. से बढ़ाकर ५.६० रु. करना यानि ४५.४५ प्रतिशत की वृद्धि। विद्युत टैरिफ की घोषणा उन्नीस अक्टूबर को की गई परन्तु

**सरकार को दिया सात दिन का अल्टीमेटम**

इससे १ अक्टूबर से लागू कर दिया गया जो कि अन्यायपूर्ण है। उपरोक्त विद्युत दर वृद्धि से उद्योगों के बिजली बिलों में ३५ से ५० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। प्रदेश में उद्योगों को मिल रही बिजली उपरोक्त वृद्धि के कारण अन्य राज्यों के मुकाबले औसतन छोटे व उद्योगों के लिये निम्नलिखित रूप से महंगी हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ दाल एवं राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण अग्रवाल ने बताया बिजली दरों की वृद्धि के खिलाफ लखनऊ की सभी दाल व राइस मिले बन्द रही। अगली रणनीति के तहत आन्दोलन किया जायेगा।

पर ७.५ प्रतिशत कर देना। इससे उद्योगों पर इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी का भार औसतन ५०० प्रतिशत बढ़ा दिया गया। छोटे उद्योगों एलएमवी-६ श्रेणी के लिए डिमांड चार्जेंज १५१६ प्रति कि.वाट से बढ़ाकर २२५ रु प्रति कि. वाट कर देना। अर्ध: १५.६५ प्रतिशत की वृद्धि। उल्लेखनीय है कि छोटे उद्योगों को अक्सर विद्युत सप्लाई बहुत कम उपलब्ध होती है। इसलिये वृद्धि का असर इससे भी कही अधिक होता है। छोटे उद्योगों एलएमवी-६ श्रेणी के लिए डिमांड चार्जेंज के साथ-साथ मिनिमम चार्जेंज ५०० रु. प्रति कि. वाट भी लागू जबकि ऐसा पूरे देश में कही भी नहीं है और

## बढ़ी बिजली दरें जमा नहीं करेंगे उद्योग

रायबरेली २२ नवम्बर। प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत दरों में लगभग ४० प्रतिशत तक की अप्रत्याशित वृद्धि की गयी है जिसका भार उठाना आज के स्पर्धा के युग में उद्योगों के लिये असंभव है। उ.प्र.से लगे हुए प्रदेशों हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब एवं म.प्र.में काफी कम दर पर बिजली दी जा रही है जिनसे अतिक्रम उद्योगों को प्रतिযোগिता करनी पड़ती है। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, रायबरेली के अनुसार उ.प्र.सरकार को अपनी परेशानियों से अवगत कराने के लिये इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पूरे उत्तर प्रदेश में, १२ एवं २९.११.२०१२ को दोपहर १२ बजे से १ बजे तक बिजली का उपयोग नहीं करेंगे एवं अपनी फैक्ट्रीयां बंद रखेंगे। रायबरेली की सभी फैक्ट्रीयां भी २२ एवं २९.११.२०१२ को दोपहर १२ से २ बजे तक बंद रहेगी। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कोई भी उद्योग इस माह बढ़ी दरों पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं करेंगे एवं बिल एवं भुगतान का चेक एसोसिएशन के पास ही जमा करेंगे जिसे बिजली के रेट रिवाइज होने पर विभाग में जमा करा दिया जायेगा। उ.प्र.सरकार से अनुरोध है कि बिजली की दरों को कम करके उ.प्र. के उद्योगों को परेशान होने से बचाये।

## चार घंटे विद्युत उपयोग का उद्यमियों ने किया बहिष्कार

ग्रेटर नोएडा। बिजली का दाम बढ़ाये जाने को लेकर शुक्रवार को उद्यमियों ने चार घंटे बिजली उपयोग का बहिष्कार किया है, इस दौरान ग्रेटर नोएडा में स्थापित छोटे बड़े सभी उद्योगों में एनपीसीएल द्वारा दी गयी बिजली के उपयोग का बहिष्कार किये हैं और स्वतः स्थापित जनरेटर की बिजली का इस्तेमाल किये हैं। दरअसल विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बिजली के दाम जिस तरह से बढ़ाकर लिया जा है उसका विरोध कर रहे हैं।

गौरतलब है कि विद्युत नियामक आयोग ने पिछले १९ अक्टूबर को बिजली का दाम बढ़ा दिये गये, जिसमें डिमांड चार्ज में १६ प्रतिशत तथा एनजी चार्ज में ४५ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है इससे छोटे उद्यमियों के बिजली के बिल में लगभग ३८.५ प्रतिशत और बड़े उद्योगों पर औसतन लगभग ३९ प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उसी कड़ों में नौतमबुद्धनगर जिले में एनपीसीएल ने बिजली का दाम बढ़ाया उसी को लेकर शुक्रवार को उद्यमियों ने चार घंटे बिजली के उपयोग का बहिष्कार किया है।